संख्या:227/2024/948/35-4-2024/35-4099/141/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2024

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्यो के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश सं0- 489/2023/1176/35-4-2023 दिनांक 28.03.2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित स्वीकृत 05 कार्यों में से शासनादेश के क्रमांक 01 एवं 02 पर अंकित कार्यों की रू. 107.55 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू 53.77 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश सं0-821/2023/2538/35-4-2023/35-4099/141/2023 दिनांक 29.09.2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्यों की रू0 79.20 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों शासनादेशों द्वारा प्रश्नगत कार्यों हेतु कुल रू. 132.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0-452/त्व0आ0वि0यो0/स0मार्ग/2023-24 दिनांक 01.07.2024 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेशों से स्वीकृत कार्यों में से 03 कार्यों का निर्माण अन्य विभागों द्वारा कराये जाने एवं उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना इंगित करते हुए कार्यों की स्वीकृति निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्द्वारा उक्त कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। निरस्त किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

(रू. लाख में)

	स्वीकृति संबंधी शासनादेश एवं दिनांक	कार्य का नाम	लागत	अवमक्त धनराशि
1	489/2023/1176/35-4-2023 दिनांक 28.03.2023 (वित्तीय वर्ष 2022-23)	1. ग्राम सीकरी कॅला में महमदपर कदीम रोड से लेकर पताजंलि अस्पताल वाले रास्ते तक इन्टर लाकिंग का निर्माण कार्य	45.16	22.58
		2.मोदीनगर में आलोक पार्क में गेट से क्लब के चारो ओर की सडक का निर्माण कार्य	62.39	31.19
2	821/2023/2538/35-4-2023/35-4099/141/2023 दिनांक 29.09.2023, (वित्तीय वर्ष 2023-24)	3.विधानसभा लोनी में नौरसपर गांव से डी०पी०एस०० स्कूल तक रोड का निर्माण कार्य।	79.20	79.20
		योग	**186.75**	**132.97**

2. उपर्युक्त तालिका में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2023 एंव शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:227/2024/948(1)/35-4-2024/35-4099/141/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट टांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजियाबाद।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।